उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-5/570/तीस-4-2015-20(5)/2004टीसी
लखनऊ: दिनांक: 14 मई, 2015

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से मोटरयान अधिनियम, 1988 अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन लर्निंग लाइसेंस का आवेदन एवं उससे समबन्धित फीस को ऑनलाइन जमा कराने हेतु अवसंरचना लखनऊ जनपद में स्थापित कर ली है।

अतएव मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-8 की उपधारा (2) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-10 में लर्निंग लाइसेंस दिये जाने के संदर्भ में आवेदन प्राप्त करने की प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार एतदद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि लर्निंग लाइसेंस का आवेदन एवं उससे सम्बन्धित फीस को लखनऊ जनपद के दोनों परिवहन कार्यालयों में प्रायोगिक तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में **"केवल और केवल" ऑनलाइन माध्यम से ग्राह्य करने की व्यवस्था** 01.06.2015 से लागू होगी।

उक्त व्यवस्था लागू होने की तिथि से लर्निंग लाइसेंस का आवेदन एवं उससे सम्बन्धित फीस उक्त कार्यालयों में मैन्युअल रूप से, उस आपात/अप्रत्याशित स्थिति को छोड़कर जब 'जनहित' में ऐसा करना अपरिहार्य हो, ग्राह्य नहीं किये जायेंगें।

आज्ञा से,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/570(1)/तीस-4-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया, इस अधिसूचना को दिनांक 14.05.2015 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 1000 प्रतियां परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-5/570(2)/तीस-4-2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. विधायी अनुभाग-1
5. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिव्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।